Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में जोधपुर डिस्कॉम का सहायक–प्रथम 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 अगस्त, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये देवेन्द्र सिंह राजपूत सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, उपखण्ड ग्रामीण, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चूरू को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अघरेलू सेवा विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में देवेन्द्र सिंह राजपूत सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, उपखण्ड ग्रामीण, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चूरू द्वारा **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी चूरू इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये देवेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री इन्द्र सिंह निवासी घण्टेल, पुलिस थाना सदर, जिला चूरू हाल सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, उपखण्ड ग्रामीण, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चूरू को परिवादी से **8 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान आरोपी सहायक–प्रथम द्वारा परिवादी के कहने पर उससे लिये **8 हजार रुपये** रिश्वत राशि में से **500 रुपये** परिवादी को वापस देकर **7 हजार 500 रुपये** अपनी पेंट की जेब में रख लिये थे, जहाँ से राशि बरामद की जा चुकी है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।